राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं0नि0 30–08/2015– 479

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 9.2.24

विषयः– **जिला परिषद, वैशाली के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।**
प्रसंगः– **आपका का पत्रांक 282/जि0 दिनांक 03.02.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका के प्रासंगिक पत्रांक 282 दिनांक 03.02.2024 द्वारा जिला परिषद वैशाली के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों एवं **गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010** के अधीन **जिला परिषद, वैशाली के अध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 27.02.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत कर दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उक्त जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से **निर्वाचित सभी सदस्यों को सूचना दिनांक 19.02.2024 तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित अध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा।**

4. अध्यक्ष के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

4. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 9.2.24
सचिव।

ज्ञापांक पं0नि0 30–08/2015– 479 पटना, दिनांक – 9.2.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सचिव।

711

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–पं०नि० 30–08/2015 476
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 9.2.2024

विषयः– प्रखण्ड वैशाली के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 266/जि0 दिनांक 01.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आयोग को **प्रखण्ड वैशाली के प्रमुख** के पद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन **प्रखण्ड वैशाली के प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 27.02.2024 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया प्रखंड प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक **19.02.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **17.02.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, वैशाली को भी दी जा रही है।

5. प्रमुख के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) 09/2/24
सचिव।

ज्ञापांक पं०नि० 30–08/2015– 476 पटना, दिनांक – 9.2.2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 09/2/24
सचिव।

(ह०) 9.2.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com